संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

क्र./शा–1/विविध/6064/2022/2251 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.8.22

प्रति,

01. समस्त आयुक्त,
 नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़

02. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत
 छत्तीसगढ़

विषय :– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुपालन में तम्बाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापन में प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्र./एन.टी.पी.सी./2022/671 दिनांक 01.06.2022 ।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा 2003 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन राज्य के समस्त जिलों में किया जा रहा है ।

तम्बाकू जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । प्रतिवर्ष 12 लाख से भी अधिक व्यक्ति की मौत तम्बाकू जनित रोगों के कारण होती है तथा वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण–।। (2016–17) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 39.1 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं ।

2/भारतीय संसद ने 2003 में युवाओं और जन–मानस को तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण के नियंत्रण विनियमन) अधिनियम 2003" कोटपा को लागू किया है । यह एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका अनुपालन सभी राज्य को किया जाना है ।

3/भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 20 अक्टूबर 2006 को जारी अधिसूचना के तहत तम्बाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन (राजश्री एवं विमल पान मसाला) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा–5 का उल्लंघन है ।

उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये होर्डिंग्स/बसों/अन्य स्थानों में पान मसाला के विज्ञापन को तत्काल हटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही तम्बाकू से दुष्परिणामों से संबंधित विज्ञापन लगवाया जाये, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

upload 12/08/22

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ, नवा रायपुर, अटल नगर

Scanned with CamScanner

पृ.क्र. / शा–1 / विविध / 6064 / 2022 / 2252 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.8.22

प्रतिलिपि :–

01. उप सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ ।

02. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ ।

03. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / अंबिकापुर एवं जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ, नवा रायपुर, अटल नगर

Scanned with CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष कार्यालय
(तृतीय तल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, रायपुर, 492002)

क्रमांक / एन.टी.सी.पी / 2022 / 671 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 01 / 06 / 2022

प्रति,

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़

विषयः– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 कें प्रावधानों के अनुपालन में तम्बाकू उत्पादों के अप्रत विज्ञापन में प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में।

संदर्भः– 1.संचालनालय स्वास्थ्य. सेवायें, छ.ग. का पत्र कं./39/2019/007/230 नवा रायपुर, दिनांक 21. 2018.

2. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का पत्र कं./उप संचा./एसबीएम/87/2018/723 अ नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019.

3.संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. का पत्र कं./उप संचा/एसबीएम/2018/9451 न रायपुर, अटल नगर दिनांक 30.08.2019.

——00——

विषयान्तर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्रो का अवलोकन करें । तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक लाने एवं कोटपा 2003 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्र का संचालन राज्य के समस्त जिलों में किया जा रहा है।

तम्बाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भारत में प्रतिवर्ष 12 लाख से भी अधिक व्यक्ति की मौत तम्बाकू जनित रोगों के कारण होती है। तथा वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण–।। (2016–17) के अनुस छत्तीसगढ़ राज्य में 39.1 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन कर रहे है।

2/भारतीय संसद ने 2003, में युवाओं और जन–मानस को तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों सें बचाने के लिए " सिगरे एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण का नियंत्र विनियमन) अधिनियम, 2003" कोटपा को लागू किया है। यह एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका अनुपालन सभी राज को किया जाना है।

3/भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 20 अक्टुबर 2006 को जारी अधिसूचना तहत् तम्बाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष विज्ञापन (राजश्री एवं विमल पान मसाला) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद नियंत्र अधिनियम, 2003 की धारा – 5 का उल्लंघन है। (संलग्न)

उक्त संबंध मे पूर्व मे भी संदर्भित पत्र प्रेषित किये जा चुके है । अतः आपसे अनुरोध है, कि राज्य के समस नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये होडिंग्स/बसों/अन्य स्थानों में पान मसाला के विज्ञापन को तत्काल हटाये जाने हे आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। साथ ही आग्रह है, कि संबंधित विभाग द्वारा तम्बाकू के दुष्परिणामों संबंधित विज्ञापन लगवाया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य को तम्बाकू मुक्त बनाया जा सके।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

शीघ्र

विविध
30/6/22

02/06/22

Scanned with CamScanner

2

क्रमांक/सं.स्वा.से./2022/672 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/06/20

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विभाग, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. राज्य नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग.की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यालयीन प्रति।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner